

फद अहकाम
 शान्ती VU बनाम शीतल गार्ड कील्ड प्रमोड

विद्वान् अहकाम
 विद्वान् (अपु)

116/2017 प्रार्थना पत्र U/S 09R13 CPC

पर
 फा. 3
 पर
 सी. सी.
 लोडिंग
 का
 गपा।
 29.01.15
 का
 बाबत
 का
 2916,
 2969,
 3012,
 का। 34
 का, इक्ट
 प्रीतिगण
 मोटिफ
 ल के
 कानूनी
 स्थानगी
 भोजूदगी
 का
 गिस्त
 का
 सी. पी. सी
 नहीं मानी

आज्ञा विस्तृत रूप से

यह भी कि सम्पत्त गमील के लिए व्यक्ति के हाल निवास स्थान पर गमील मोटिफ बेजना आवश्यक है, जिसका इक्ल वाद में पालन नहीं किया गया है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाया जाता है, उसके इल्जाम की सूचना व तारीख पेशी की जानकारी होना आवश्यक है। यह भी कि अप्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी ने प्रकरण में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः बेजवारा प्रस्ताव मंगवाकर प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण करने का निवेदन किया है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 द्वारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। मु. नं. 24/2015 उनवानी शीतल गार्ड प्रमोड प्र. लि. बनाम शीतल गार्ड वगैरे के पारित निर्णय व डिडी दिनांक 13.05.15 को अपालन किया जाता है।



(Signature)
 उपपंचायत अधिकारी
 विशाल नगर (जयपुर)